न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 74 सन 2019
अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी चुलीकला तहसील आदमपुर।

बनाम

1. होशियारसिह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी चुलीकला तहसील आदमपुर।
2. छोटूराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी चुलीकला तहसील आदमपुर
3. टोमपति पत्नी जयलाल उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी चुलीकला तहसील आदमपुर
4. कालूराम पुत्र जयलाल उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी चुलीकला तहसील आदमपुर
5. राजबाला पुत्री जयलाल उर्फ पालाराम जाति जाट निवासी चुलीकला तहसील आदमपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 28.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 118/96 के खसरा न0 31 की 1.3660हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से श्योराम पुत्र ज्ञानाराम 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

श्योराम पुत्र ज्ञानाराम फोत हो चुका है एवं उसकी पत्नि का भी देहान्त हो चुका है श्योराम का एक पुत्र पालाराम उर्फ जयपाल भी फोत हो चुका है पालाराम के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 5 प्रतिवादी संख्या 4 की माता व बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 व 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योराम के नाम से दर्ज है श्योराम पुत्र ज्ञानाराम एवं उनकी पत्नि का देहान्त हो चुका है एवं श्योराम के एक पुत्र पालराम उर्फ जयलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है इसप्रकार वाद भूमि श्योराम के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 5 प्रतिवादी संख्या 4 की माता व बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड

में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि श्योलाल पुत्र ज्ञानाराम के नाम से दर्ज है श्योराम पुत्र ज्ञानाराम एवं उसकी पत्नि का देहान्त हो चुका है एवं उनके एक लडके पालाराम उर्फ जयलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है इसप्रकार श्योराम के देहान्त होने पर वाद भूमि के हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 हुए है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 जो प्रतिवादी संख्या 4 की माता व बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 व 4, के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोतीबडी के खाता संख्या 118/96 की कुल 1.3660हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

Sd/-
~~उपखण्ड अधिकारी~~ (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official